

विचार बिन्दु

तुम्हारा बायाँ हाथ जो देता है, उसे दायाँ हाथ ना जानने पाए। –बाइबल

कहीं ‘जी राम जी’ का ‘जय राम जी’ न हो जाये

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून या नरेंगा 2005 में मनमोहन सिंह सरकार द्वारा बनाया गया। इसके माध्यम से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक परिवार के अकुशल श्रमिकों को साल में 100 दिन काम देने की गारंटी दी गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहली बार हुआ जब ग्रामीणों को काम मांगने और प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया। स्थानीय पंचायत से काम मांगने के लिए आवेदन देने के 15 दिन के अंदर यह अनिवार्य था कि उसे किसी न किसी काम पर, जो उसके निवास से पांच किलोमीटर से कम दूरी पर हो, उसे काम दिया जाए। काम न दे पाने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था, जो देय मजदूरी का एक चौथाई होता था।

वैसे तो स्वतंत्रता के बाद कई प्रकार की योजनाएं बनाई गईं जिनके अंतर्गत ग्रामीणों को काम देने का प्रावधान था, जैसे ‘फूड फॉर वर्क’, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम; , ‘जवाहर रोजगार योजना’ आदि इनके अतिरिक्त अकाल की स्थिति में अकाल राहत कार्य के अंतर्गत भी ग्रामीणों को मजदूरी दी जाती थी। इन सब योजनाओं में काम देने की कोई गारंटी या कानूनी बाध्यता नहीं थी।

आवश्यकता अनुसार मजदूरी को काम पर लगाया जाता था। इस कारण संबंधित कार्यकारी एजेंसी इनमें कई बार मनमानी करती थी और इससे भ्रष्टाचार भी पनपता था। यह उल्लेखनीय है कि ग्रामीणों के पास मजदूरी का कोई विकल्प नहीं होने के कारण ठेकेदार/नियोक्ता, मजदूरों का आर्थिक शोषण करते थे और बहुत कम मजदूरी पर रखते थे। बंधुआ मजदूरी की प्रथा भी इसी प्रकार की व्यवस्था का परिणाम थी।

। लोग पीड़ी देर पीड़ी जमींदारों के यहां काम करते और उन्हें केवल नाम मात्र का खाना दिया जाता एवं कभी कभार उन्हें किसी कार्य हेतु कुछ राशि दे दी जाती थी।

यूपीए सरकार ने स्थिति की गंभीरता को पहचाना और इसमें क्रांतिकारी बदलाव करते हुए काम के अधिकार की गारंटी ग्रामीणों को दी। इस हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून, 2005 बनाया। 2009 में इसमें महत्वात्मा गांधी का नाम जोड़कर इसे महत्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून बनाया जिसे मनरेंगा के नाम से जाना जाता है।

नरेंगा के प्रारंभिक वर्षों में, राजस्थान के नरेंगा आयुक्त के पद पर लगभग सात माह काम करने का अवसर मिला। इस दौरान नरेंगा में राजस्थान में, देश में सर्वाधिक रोजगार सृजन हुआ और एक वर्ष में लगभग 6000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने जारी किए। यह कोई केंद्र प्रवृत्ति योजना नहीं थी एवं इसके लिए बजट की कोई सीमा नहीं थी। केवल एक आवश्यकता थी कि जितने लोग रोजगार मांगें उन्हें 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। इस योजना के दिशा निर्देश में यह स्पष्ट लिखा गया था कि वही काम लिए जाएं जिन पर सामग्री खर्च कुल काम के 40 प्रतिशत से अधिक न हो एवं 60 प्रतिशत हिस्सा मजदूरी के रूप में दिया जाए। इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार, मजदूरी का शत प्रतिशत एवं सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय का 75 प्रतिशत राज्य सरकारों को उपलब्ध कराती थी। इसका मतलब यह हुआ कि राज्य सरकारों पर नरेंगा के अंतर्गत होने वाले कुल व्यय का अधिकतम केवल 10 प्रतिशतभार ही आता था। यदि सामग्री का हिस्सा 40 प्रतिशत से कम है तो राज्य सरकार को 10 प्रतिशत से भी कम भुगतान पडता था।

यह कहना गलत नहीं होगा कि नरेंगा में भ्रष्टाचार की कई घटनाएं सामने आईं । कई सरपंचों ने फर्जी मस्टर रोल भी बनाए और सामग्री पर होने वाले खर्च को बड़ा चढ़ा कर दिखाया। उस समय के सरपंचों को ‘बोलेंरो सरपंच’ तक कहा जाने लगा, क्योंकि नरेंगा बजट से कई भ्रष्ट सरपंचों ने बोलेंरो गाड़ी खरीद ली थी। भ्रष्टाचार की आशंका को देखते हुए, पारदर्शिता की दृष्टि से यह निर्देश दिए गए थे कि जिन मजदूरों को भुगतान किया जाए उनकी सूची, मय मजदूरी के, विद्यालय अथवा अन्य सार्वजनिक भवन की दीवारों पर लिखवा दी जाए। इससे उन लोगों के नाम भी सामने आए जिन्हें मरने के बाद भी मजदूरी का भुगतान करना दिखा दिया गया।

हालांकि नरेंगा में सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान प्रारंभ से ही था, किंतु यह सामान्यतः एक औपचारिकता बनकर रह जाता था। सोशल ऑडिट फोरम की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाती थी एवं ठाम सभा में सामान्यतः उपस्थिति बहुत कम होती थी। गरीबी को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान ने पहल की और 2009 में भीलवाड़ा जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में से एक चयनित पंचायत में वास्तविक गहन सोशल ऑडिट कराई गई। इस प्रक्रिया में देश के प्रसिद्ध शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों और अनेक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भागीदारी निभाई। लगभग 15 दिनों में इन लोगों ने गांव गांव जाकर सरकारी रिकॉर्ड को सरलीकृत रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत किया और नरेंगा की मूल अवधारणा से ग्रामीणों को परिचित कराया। पूरे देश की विभिन्न योजनाओं में नरेंगा अकेली ऐसी योजना थी, जिसमें लाखों मजदूरों का विवरण ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध था। मस्टर रोल और वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी को जनता के अंजान में आने वाली भाषा में सरल तरीके से इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एकत्रित किया और समझाया। इस प्रक्रिया के बाद प्रत्येक पंचायत समिति के मुख्यालय पर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभावी मंत्री, कलेक्टर, जनता और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जब सामग्री में किए गए घोटाले अथवा मजदूरों में दिए गए फर्जी नाम की बात सामने रखी गई तो कुछ स्थानों पर सरपंचों ने आगे बढ़कर गलती स्वीकरी और अतिरिक्त राशि सरकार में जमा करने की बात की ताकि वे आपराधिक कार्यवाही से बच सकें। यह पहला ऐसा उदाहरण था जिसे वास्तविक सोशल ऑडिट कहा जा सकता था। इस सोशल ऑडिट की सराहना भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी की थी। भीलवाड़ा जिले में किए गए इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे जब अन्य जिलों में भी करने का प्रयास किया गया तो सारे सरपंच लाम बंद हो गए और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी गई। यदि सरकार साहस करके इसे अन्य जिलों में भी कर लेती तो संभवतया नरेंगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत सहायता मिलती।

ऑडिट कहा जा सकता था। इस सोशल ऑडिट की सराहना भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने भी की थी। भीलवाड़ा जिले में किए गए इस सामाजिक अंकेक्षण की प्रभावशीलता को देखते हुए इसे जब अन्य जिलों में भी करने का प्रयास किया गया तो सारे सरपंच लाम बंद हो गए और यह प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी गई। यदि सरकार साहस करके इसे अन्य जिलों में भी कर लेती तो संभवतया नरेंगा में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत सहायता मिलती।

2005 से 2025 तक लगभग 20 वर्ष तक नरेंगा अकुशल श्रमिकों के लिए

;लाइफ लाइन; के रूप में काम करती रही. कोरोना के दौरान, विश्व भर जहां रोजगार के सारे साधन समाप्त हो गए थे, मनरेंगा ही संकेत मोचक के रूप में सामने आई।

अब तक नरेंगा के अंतर्गत देश में कुल 15.5 करोड़ जाँब कार्ड जारी किए गए हैं तथा 12 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। औसतन एक साल में 200 करोड़ मानव श्रम दिवस सृजित होते हैं। अनेक अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, आई एम एफ आदि ने इसे रोजगार सृजन की विश्व की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी योजना माना है। समय-समय पर नरेंगा में होने वाले भ्रष्टाचार को कम करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए गए किंतु इसमें और भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इस बात की भी शिकायतें मिलती थीं कि कई पंचायतें मजदूरों से काम कराने के बजाय वही काम मशीनों से करा लेती थीं। इस प्रकार अनधिकृत रूप से बचाई गई राशि ठेकेदार, सरपंच और भ्रष्ट अधिकारी आपस में बांट लेते थे। हालांकि इस योजना के अंतर्गत एक परिवार को 100 दिन तक काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार था किंतु वास्तविकता में औसतन 45 दिन प्रति परिवार ही काम मिल पाता था। लगभग 2 प्रतिशत परिवार ही 100 दिन काम कर पाते हैं। अतः काम के दिनों की संख्या नई योजना में 125 दिन करना अर्थ हीन है।

मोदी ने प्रधानमंत्री के कुछ समय बाद 2015 में संसद में नरेंगा को यूपीए सरकार की विफलताओं का स्मारक तक कारर दिया था। यह विडंबना ही है कि इसके बावजूद उनकी सरकार इसे 10 वर्षों तक चलाती रही और इसे बंद करने का साहस नहीं उठा पाई। वास्तव में योजना यदि इतनी ही खराब थी तो सरकार ने उसे तत्काल ही बंद क्यों नहीं कर दिया?

सरकार ने हाल ही में अचानक मनरेंगा के स्थान पर ‘विकसित भारत – जी राम जी योजना’ (विकसित भारत – गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन – ग्रामीण) की घोषणा कर दी और इस हेतु बिल संसद में विपक्ष के घोर विरोध के बावजूद ने केवल प्रस्तुत किया अपितु केवल दो दिन की बहस के बाद 18 नवंबर को मध्यरात्रि के बाद संख्या बल के आधार पर इसे पारित भी करा लिया। राष्ट्रपति जी की अनुमति के बाद अब यह कानून भी बन चुका है। इसे सेलेक्ट कमेटी में भेजने की विपक्ष की मांग भी नहीं मानी गई।

नए कानून में नरेंगा की आत्मा को ही मार दिया गया है। जो योजना मांग आधारित थी उसे केवल एक सामान्य केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में अब चलाया जाएगा। भारत सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितनी धनराशि देनी है। यदि भारत सरकार द्वारा राज्यों को दी जानी वाली राशि से किसी राज्य को खर्च करना है तो उसे अपने साधनों से करना होगा। इस प्रकार यह योजना मांग आधारित से बदलकर आपूर्ति आधारित हो गई है। यह सर्वविदित है कि अधिकांश राज्य भारी कर्ज में डूबे हुए हैं और बड़ी मुश्किल से अपना काम चला पाते हैं। वह इस योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत खर्च कैसे वहन कर पाएंगे? अब तक राज्यों पर 10 प्रतिशत या उससे कम वित्तीय भार पडता था जो बढ़कर अचानक 40 प्रतिशत हो जाएगा। जब राज्य सरकार 40 प्रतिशत राशि वहन नहीं कर पाएंगी तो केंद्र सरकार भी अपना हिस्सा नहीं देगी और इस प्रकार धीरे-धीरे यह योजना बंद हो जाएगी। भारत सरकार ने इस योजना को इस प्रकार का रूप दे दिया है कि वह चल ही न पाए।

जिस प्रकार से योजना का नामकरण सरकार ने किया है उसे देखकर तो लगता है कि श्रष्टों को तोड़ मरोड़ करके योजना के नाम में जैसे-तैसे ‘राम’ शब्द को लाना ही सरकार का उद्देश्य रहा है ताकि इसका राजनीतिक लाभ लिया जा सके। सरकार को यह समझना होगा कि केवल ‘राम’ का नाम योजना से जोड़ने से कोई योजना भ्रष्टाचार मुक्त नहीं हो जाएगी। कुछ वर्षों पहले सुख-राम; नाम के मंत्री के यहां बिस्तर में करोड़ों रुपए के नोट बरामद हुए थे। गांधी जी की हत्या भी नाथू-राम; ने ही की थी। इसलिए केवल राम के नाम के आधार पर इस योजना का नामकरण करना, सरकार की नीयत में संदेह उत्पन्न करता है।

“विकसित भारत – जी राम जी” राज्यों की स्वायत्तता पर भी प्रहार करती है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इस योजना के माध्यम से भारत सरकार ने अधिकारों को केंद्रीकरण कर दिया है। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के संघीय ढांचे पर गहरा आघात करती है। इसीलिए राज्य इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा शासित राज्य तो चाहते हुए भी इसका विरोध करने की स्थिति में नहीं है, किंतु अन्य राज्यों में इसका विरोध हो रहा है। जब इस योजना के अंतर्गत लोगों को का मिलना बंद हो जाएगा और भारत सरकार इसके प्रावधानों को सीमित कर देगी तो जनता में असंतोष बढ़ेगा। जल्दबाजी में इस योजना को लाया गया है और बिना सेलेक्ट कमेटी में भेजे, इसे संसद में 2 दिन में वैसे ही पारित करा लिया गया जैसे कृषि कानून कुछ समय पूर्व सरकार ने पारित करवाए थे। अंततः भारी किसानों के भारी विरोध और 1 वर्ष के लंबे आंदोलन तथा लगभग 700 किसानों की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से इन कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी थी। जिस जल्दबाजी में, बिना सोच विचार और बिना चर्चा के, ‘जी राम जी’ योजना लाई गई इसे शीघ्र ही सरकार को निरस्त करना पड सकता है। ऐसा हुआ तो,हम यह कहने पर विवश होंगे कि ‘जी राम जी’ को सरकार ने स्वयं नहीं ;जय राम जी; कह दिया है। सरकार इस स्थिति से कैसे निपटती है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

–अतिथि सम्पादक, राजेन्द्र भागवत (पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

अरावली पर न्याय का संदेश : संरक्षण जिम्मेदारी का संतुलन



डॉ. अरुण चतुर्वेदी

भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली पर्यावरण, नीति और राजनीति के संगम पर खड़ी है। पिछले दिनों में अरावली को लेकर जिस तरह के आरोप और आशंकाएं फैलाई गई हैं, उन्होंने इस संवेदनशील विषय को तथ्य से अधिक राजनीतिक विमर्श का विषय बना दिया है। जबकि वास्तविकता यह है कि अरावली से जुड़े सभी निर्णय सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट, लिखित और बाध्यकारी आदेशों के तहत लिए गए हैं और उनका मूल उद्देश्य दीर्घकालिक पारिस्थितिक संरक्षण है।

लगभग दो अरब वर्ष पुरानी अरावली पर्वतमाला उत्तर भारत की जीवनरेखा है। दिल्ली से गुजरात तक

लगभग 650 किलोमीटर में फैली अरावली इंडो-गंगा के मैदानों को मरुस्थलीकरण से बचाने वाली प्राकृतिक ढाल है और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर बढ़ते प्रभाव को रोकती है। जलवायु, संतुलन, जैव विविधता, भूजल पुनर्भरण और चंबल, साबरमती व लूनी जैसी नदियों के स्रोत के रूप में इसकी भूमिका निर्विवाद है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने अरावली को केवल खनन या विकास का विषय न मानकर राष्ट्रीय पारिस्थितिक संपदा के रूप में देखा है।

अरावली क्षेत्र खनिज संसाधनों से समृद्ध रहा है और दशकों तक यहाँ खनन गतिविधियाँ चलीं। लेकिन बीते चार दशकों में अत्यधिक और अवैध खनन ने वायु प्रदूषण बढ़ाया, भूजल स्तर गिराया और पारिस्थितिक संतुलन को गहरी चोट पहुँचाई। इसी पुष्टभूमि में 1990 के दशक से पर्यावरण मंत्रालय ने खनन को सीमित करने के प्रयास शुरू किए, 2009 में हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया और मई 2024 में नए खनन पट्टों व नवीनीकरण पर रोक लगाई गई।

अरावली विवाद की जड़ लंबे समय तक असंगत परिभाषाएं रही। अलग-अलग राज्यों और संस्थाओं द्वारा अलग मानक अपनाए जाने से न केवल भ्रम फैला, बल्कि अवैध खनन को भी बढ़ावा मिला। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार की पहल पर पर्यावरण मंत्रालय, भारतीय

वन सर्वेक्षण, राज्य वन विभागों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और विशेषज्ञों को शामिल कर संयुक्त समिति गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस समिति की रिपोर्ट पर विचार कर 20 नवंबर 2025 को अंतिम निर्णय दिया गया।

कुछ राजनीतिक बयानों में यह आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार ने अरावली को 100 मीटर में समेट दिया। यह आरोप न केवल तथ्यात्मक रूप से गलत है, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया को राजनीतिक रंग देने का प्रयास भी है। वास्तविकता यह है कि 100 मीटर की सीमा कोई नई खोज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2005 को 100 मीटर से अधिक ऊँचाई को हिल मानने का मानक तय किया था, जिसे वर्षों तक कांग्रेस सरकारों ने भी लागू रखा। वर्तमान निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि 100 मीटर या उससे अधिक ऊँचाई वाली पहाड़ियाँ और उनसे 500 मीटर के दायरे में आने वाले सभी लैंडफॉर्म्स एक संरक्षित श्रृंखला माने जाएँ। इस 500 मीटर जोन में आने वाले सभी भू आकृतिक ढांचे (उनकी ऊँचाई या ढलान चाहे जो भी हो) खनन से पूरी तरह बाहर रहेंगे। इसलिए यह कहना कि 100 मीटर से कम ऊँचाई वाले क्षेत्रों में खनन खोल दिया गया है, सरासर भ्रामक है।

अरावली का 98 प्रतिशत भाग सुरक्षित है। यह नितांत तथ्यहीन है कि 90 प्रतिशत अरावली समाप्त हो गई। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अरावली क्षेत्र का लगभग 25 प्रतिशत हिस्सा अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और आरक्षित वन में आता है और इस क्षेत्र में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है। कुल अरावली क्षेत्र में से केवल 2 से 5.6 प्रतिशत क्षेत्र ही सीमित और नियंत्रित खनन के दायरे में आता है और यही भौगोलिक और कानूनी तथ्यों से प्रमाणित है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने स्पष्ट सिफारिश की कि जब तक इंडियन कार्डसिल ऑफ फॉरस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन द्वारा अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक कोई नया खनन पट्टा जारी नहीं किया जाएगा। इस योजना में यह स्पष्ट किया जाएगा कि कहां खनन पूरी तरह वर्जित रहेगा, कहां सीमित अनुमति दी जा सकती है और किन क्षेत्रों में पुनर्बहाली प्राथमिकता होगी। यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि सरकार का उद्देश्य खनन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि वैज्ञानिक नियंत्रण स्थापित करना है।

राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों की कसौटी पर नितांत तथ्यहीन हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके कार्यकाल में अरावली के लिए दोस संरक्षण मॉडल विकसित किया जा सकता था, तब कोई निर्णायक पहल नहीं हुई। आज जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक सख्त, वैज्ञानिक और

पारदर्शी ढांचा लागू हो रहा है, तब उसी प्रक्रिया को संदेह के घेरे में खड़ा करना जनभावनाओं को भ्रमित करने का प्रयास है।

सरकार की नीति केवल प्रतिबंधों तक सीमित नहीं है। जून 2025 में शुरू की गई अरावली ‘ठीन वॉल’ परियोजना इसके दीर्घकालिक दृष्टिकोण का प्रमाण है। चार राज्यों के 29 जिलों में पांच किलोमीटर के बफर क्षेत्र में हरियाली बढ़ाकर 2030 तक करोड़ों हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। यह पहल बताती है कि सरकार अरावली को केवल बचाने नहीं, बल्कि पुनर्जीवित करना चाहती है।

अरावली प्रकरण में वास्तविक संघर्ष पर्यावरण और विकास के बीच नहीं, बल्कि तथ्य और भ्रम के बीच है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और केंद्र सरकार की नीति यह स्पष्ट करती है कि अरावली के संरक्षण से कोई समझौता नहीं किया गया है। इसके विपरीत, वर्षों से चली आ रही अस्पष्टताओं को समाप्त कर एक वैज्ञानिक, न्यायिक और जवाबदेह ढांचा स्थापित किया गया है।

आज आवश्यकता है कि अरावली जैसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति तथ्यों के साथ खड़ी हो, क्योंकि अरावली का प्रश्न केवल आज का नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है।

–डॉ. अरुण चतुर्वेदी, अध्यक्ष, राजस्थान वित्त आयोग

814वां उर्स : सूफी संत ख्वाजा साहब की दरगाह

पर प्रधानमंत्री मोदी की चादर पेश



केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने पीएम की ओर से भेजी गई चादर ख्वाजा को पेश की।

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्किट हाउस में मीडिया से

रुबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि चादर पीएम, सरकार हम सभी की तरफ से है। पीएम के संदेश पर बोले कि मैं खुद आया हूं, मैं जो बोलूंगा वो ही संदेश होगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, भागीरथ चौधरी और मंत्री सुरेश रावत सहित अन्य जनप्रतिनिधि महफिल खाने में पहुंचे। उन्होंने चादर पेश कर देश में अमन-चैन-शांति और भाईचारा बना रहे की दुआ मांगी। दरगाह दीवान के पुत्र नसरूद्दीन चिश्ती की ओर से मंत्री को स्वागत कर दस्तारबंदी कर उर्स की मुबारक दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री

2047 में हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको आवाहन किया है। उसको पूरा हम सबको मिलकर करना है। आपस में लड़ाई होगी तो मकसद पूरा नहीं होगा। अजमेर शरीफ में आकर दिल को बहुत सुकून मिला है।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू सुबह सर्किट हाउस पहुंचे। यहां पर सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए। भाजपा नेताओं और जिला प्रशासन ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी,शहर भाजपा अध्यक्ष रमेश सोनी सहित अन्य नेता सहित जिला कलेक्टर लोक बंधु,

जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किये

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर एग्म में पांच साल के बच्चे के ब्रेन डेड होने पर परिवार ने ऑर्गन डोनेट किए हैं। इससे अब दो लोगों को नई जिंदगी मिल सकेगी। बालक की दो किडनी जोधपुर एग्म में एडमिट मरीज को लगाई जाएगी। वहीं ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लिवर को दिल्ली के लिए जोधपुर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया। वहां से लिवर दिल्ली भेजा गया है।

एग्म के अनुसार, बालोतरा में नाइयों की ढाणी गिडा के रहने वाले भोमाराम (5) पुत्र भैराराम को बार-बार दौरें पड़ने की समस्या पर 15 दिसंबर को एप्स लाया गया था। पीडियाट्रिक इमरजेंसी विभाग में भोमाराम का इलाज शुरू किया। इस दौरान सीटी स्कैन से लेकर कई टेस्ट किए गए। जांच में उसके सेरेब्रल एडिमा पाई गई। इसके बाद जांच में

पांच साल के मासूम के अंगदान से मिलेगी दो लोगों को नई जिंदगी, किडनी और लिवर दोनों डोनेट किए

स्टेट्स एस्प्लिक्स और सेंट्रल डायबिटीज एनसीपीडस हुआ। दिमाग

मेघ व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। आर्थिक मामलों में संतुलन बना रहेगा।

वृष नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा।

मिथुन चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। नवीन कार्यों में परेशानी हो सकती है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं।

कर्क परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में आपसी सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। परिवार में शुभ-मौंगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

सिंह विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे।

कन्या व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक वातां सफल रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

तुला घर-परिवार में अतिथियों का आमनन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवजनों के सहयोग से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

धनु आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि होगी। संभावित ख़ोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक यात्रा संभव है। परिवार में उसव जैसा माहौल रहेगा।

मकर मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। पारिवारिक व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रहे।

कुंभ घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। आज अगर्गत कार्यों में समय खराब हो सकता है। मन में असंतोष बना रहेगा। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मीन अटका हुआ धन प्राप्त होगा। आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्य महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।